मैसर्स राम सिंह विजय पाल सिंह व अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

1 मई, 2007

[जी. पी. माथुर और आर. वी. रवींद्रन, जे. जे.]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 एस.एस. 12(1) एवं 26-एल(1) मण्डी परिषद् द्वारा व्यापारियों को दुकानों, गोदामों आदि का आवंटन - परिषद् के निदेशक का पत्र की दुकानें आदि व्यापारियों को किराया खरीद के आधार पर हस्तांतरित की जाएगी - बाद की सूचना व्यापारियों को समझौते में प्रवेश करने के लिए जिसके तहत दुकानें आदि उन्हें किराये के आधार पर दी जाएंगी - नोटिस को चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय द्वारा उसे खारिज किया गया - अपील पर अभिनिर्धारित किया गया कि व्यापारियों को किराया-खरीद के आधार पर संपत्ति के हस्तांतरण का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। किराया-खरीद के आधार पर मंडी परिषद् द्वारा किराया-खरीद के अधार पर हस्तांतरण का निर्णय साबित नहीं हुआ - निदेशक द्वारा इस आशय का पत्र बिना अधिकार के था, हस्तांतरण का तरीका एक नीतिगत निर्णय होने के कारण, न्यायालय कृषि बाजार उत्पाद-न्यायिक समीक्षा-नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

रिट - परमादेश की रिट कब जारी की जा सकती है।

कृषि उपज में व्यापार करने वाले व्यापारियों द्वारा परमादेश की रिट की मांग करने वाली एक रिट याचिका दायर की गई थी। उनका मामला यह था कि उन्होंने अपना स्थानांतरण कर दिया। इस आश्वासन पर कि दुकानों और शेड आदि को लाइसेंस धारकों को किराया-खरीद के आधार पर देने के लिए नीति बनाई जा रही है, पुराने स्थान से नए स्थान पर व्यवसाय करना। इसके बाद निदेशक, मंडी परिषद द्वारा उन्हें एक पत्र दिया गया कि दुकानें, शेड आदि लाइसेंस धारकों को किराया-खरीद के आधार पर दिए जाएंगे। उन्होंने मंडी परिषद की पूर्व स्वीकृति से दुकानों आदि में भी सुधार किया। इसके बाद उन्हें उत्तरदाताओं से मंडी समिति के साथ एक समझौते को निष्पादित करने के लिए एक नोटिस मिला, जहां उन्हें किराये के आधार पर दुकानें आदि दी जाएंगी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को संक्षेप में खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, पाया 1 -- यू. पी. कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 12 की उप-धारा (1) के प्रावधान से पता चलता है कि मंडी समिति (समिति) को बिना किसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार नहीं है। राज्य कृषि उपज बाजारों की लिखित मंजूरी बोर्ड (मंडी परिषद) अधिनियम की धारा 26-एल शक्तियों से संबंधित है और बोर्ड के कार्य मंडी परिषद (बोर्ड) के निदेशक नहीं रहे हैं। कोई भी शक्ति प्रदान की गई जिसके तहत वह एक सामान्य निर्देश जारी कर सकता है कि वह मंडी परिषद की दुकानों, गोदामों और शेड को स्थानांतरित या बेचा जाएगा।व्यापारियों को किराया-खरीद के आधार पर। अतः अपीलार्थी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निदेशक के पत्र से कोई लाभ नहीं जिसमें यह

उल्लेख किया गया था कि दुकानों को किराया-खरीद के आधार पर देने का निर्णय लिया गया था, में प्रतिवादियों ने विशेष रूप से दावा किया है कि बोर्ड मंडी समिति की संपत्ति को बेचने का ऐसा कोई निर्णय कभी नहीं लिया। व्यापारी या तो किराया-खरीद के आधार पर या अन्यथा। नहीं, दस्तावेज़ किया गया है यह दिखाने के लिए दायर किया गया कि बोर्ड ने कभी ऐसा कोई निर्णय लिया है। याचिकाकर्ताओं को इसलिए, यह दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि किराया-खरीद के आधार पर संपत्ति उन्हें दी जाए। [पैरा 8] [1066-ए-ई]

2. अपीलार्थियों ने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया है कि या तो यह माना गया था या उत्तरदाताओं द्वारा कोई आश्वासन दिया गया था कि व्यावसायिक परिसर याचिकाकर्ताओं को किराया-खरीद के आधार पर बेचा जाएगा या अन्यथा।

क्या मंडी समिति की दुकानें, गोदाम और शेड, जिनके पास है या मंडी परिषद इस संबंध में एक नीतिगत निर्णय लेगी और न्यायालय उक्त नीति की जांच संकीर्ण दृष्टिकोण से ही कर सकता है अन्यथा नहीं। [पैरा 9] [1066-एच; 1067-ए-बी]

नेताई बाग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [2000] 8 एस. सी. सी. 262; बाल्को कर्मचारी यूनियन वी. भारतीय संघ, [2002] 2 एस. सी. सी. 333; फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, [2003] 4 एस. सी. सी. 289, पर निर्भर था।

3. ताकि परमादेश रिट अधिकारियों को ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी कर सके कुछ हद तक, यह दिखाया जाना चाहिए कि एक क़ानून है जो एक कानूनी कर्तव्य को लागू करता है और पीड़ित पक्ष को अपने प्रदर्शन को लागू करने के लिए क़ानून के तहत कानूनी अधिकार है। [पैरा 11]

बिहार पूर्वी गंगा मछुआरा सहकारी समिति लिमिटेड बनाम सिपाही सिंह, ए. आई. आर.(1977) एस. सी. 2149 ने भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिताः 2006 की सिविल अपील सं. 2300

इलाहबाद उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.09.2003 से जो कि 2003 की रिट याचिका संख्या 16315 से संबंधित है।

दिनेश द्विवेदी, मनीष शंकर, जी. वी. राव, आशीष मोहन और साहिल कुमार द्विवेदी अपीलार्थियों के लिए।

शोभा दिक्षित, प्रदीप मिश्रा प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जी. पी. माथुर, जे.

1 मंजुरी दी गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का दिनांकित आदेश, जिसके द्वारा

अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को प्रवेश स्तर पर संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया गया था।

3. अपीलकर्ताओंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की और निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की हैः

(i) याचिकाकर्ता को किराया खरीद के आधार पर दुकानें/गोदाम आवंटित करने के लिए संबंधित उत्तरदाताओं को आदेश देते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें;

(ii) संबंधित उत्तरदाताओंको याचिकाकर्ताओं की उन्हें आवंटित दुकानों और गोदामों के कब्जे पर किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश देते हुए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना;

(iii) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें संबंधित उत्तरदाताओंको आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को किराये के आधार पर आवंटित दुकानों/गोदामों को लेने के लिए कोई समझौते में प्रवेश करने के लिए मजबूर न करे।

(iv) कोई अन्य या आगे की रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो माननीय न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझ सकता है।

यह रिट याचिका 143 कंपनियों और व्यक्तियों की ओर से दायर की गई थी। कृषि उपज में व्यापार और रिट में प्रस्तुत उत्तरदाताओं पर याचिकाएँ थीं (1) उत्तर

प्रदेश राज्य, निदेशक, कृषि उत्पादन मंडी परिषद, लखनऊ के माध्यम से; (2) कृषि उत्पादन मंडी समिति, पीलीभीत अपने अध्यक्ष के माध्यम से; और (3) सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, पीलीभीत।

4. रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामला निम्नानुसार हैः- याचिकाकर्ता कृषि उपज के विक्रेता हैं और उन्हें कृषि उत्पादन मंडी समिति, पीलीभीत द्वारा उक्त व्यवसाय को जारी रखने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। वे पहले पुराना गल्ला मंडी में व्यापार कर रहे थे। पीलीभीत शहर नवीन मंडी स्थल के निर्माण के बाद, उन्हें अपना व्यवसाय उक्त नवनिर्मित परिसर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। हालांकि नवीन मंडी स्थल शहर के क्षेत्र से काफी दूरी पर है और इसमें बुनियादी ढांचे की कमी है, याचिकाकर्ताओं ने अपना व्यवसाय उक्त स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। यह सूचित किया गया कि दुकानों और शेडों आदि को लाइसेंस धारकों को किराया-खरीद के आधार पर देने के लिए एक नीति तैयार की जा रही है। इसके बाद वर्ष 1995 में मंडी परिषद, लखनऊ के निदेशक ने एक पत्र भेजा कि दुकानें, गोदाम और शेड लाइसेंस धारकों को किराए पर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में हल्द्वानी, रुद्रपुर और गाजियाबाद जैसे कुछ स्थानों पर लाइसेंस धारकों को दुकानें और गोदाम किराए पर दिए गए थे-खरीद आधार। रिट याचिकाकर्ता मंडी समिति, पीलीभीत को नियमित रूप से किराया दे रहे थे और बार-बार मंडी समिति के अधिकारियों से अनुरोध कर रहे थे कि वे उन्हें किराया-खरीद के आधार पर दुकानें और गोदाम देने वाले दस्तावेज़ को औपचारिक रूप से निष्पादित करें। हालांकि, उक्त दस्तावेजों को निष्पादित करने के

बजाय, उत्तरदाताओं ने उन्हें एक समझौते को निष्पादित करने के लिए नोटिस दिया था। मंडी समिति, पीलीभीत, जिसके तहत उन्हें किराए के आधार पर दुकानें और गोदाम पट्टे पर दिए जाएंगे। रिट याचिकाकर्ता जो आगे बढ़ रहे थे 1986 से दुकानों और गोदामों में व्यवसाय और मंडी समिति को नियमित रूप से किराया का भुगतान करना एक वास्तविक धारणा के तहत था कि अंततः उन्हें किराया-खरीद के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा। कुछ रिट याचिकाकर्ताओं ने अपने कब्जे वाली दुकानों और गोदामों में सुधार करने के लिए पैसा खर्च किया था और ऐसा ही मंडी समिति की पूर्व मंजूरी से किया गया था। समझौते का प्रारूप जो अब रिट याचिकाकर्ताओं को दिया गया था, उसमें एक खंड था कि एक अवधि की समाप्ति के बाद 3 साल के किराए में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इन आधारों पर ही रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें ऊपर उल्लिखित राहतों की मांग की गई थी।

5. रिट याचिका के जवाब में, सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, पीलीभीत द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था और उसमें ली गई याचिकाएं नीचे दी गई हैं। रिट याचिकाकर्ता निर्दिष्ट कृषि उपज में थोक में व्यवसाय कर रहे थे और उन्हें नवीन मंडी स्थल में दुकानें, शेड और खुली जगह आवंटित की गई थी, जिसके लिए किराया लिया जाता है। शहर के काफी करीब स्थित नवीन मंडी स्थल में सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई थीं। रिट याचिकाकर्ताओं को किराए के आधार पर दुकानें आदि आवंटित की गई थीं और किसी भी स्तर पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि दुकानें, गोदाम या शेड रिट याचिकाकर्ताओं को किराया-खरीद के आधार

पर दिए जाएंगे। लीज पर दी गई दुकानें, गोदाम और शेड, जिनके लिए किराया लिया जाएगा। इस बात से इनकार किया गया कि यू. पी. में कहीं भी एक अलग नीति अपनाई गई थी या कि दुकानें या मंडी समिति द्वारा गोदाम किराया-खरीद के आधार पर दिए गए थे। 1995 में कथित रूप से भेजे गए निदेशक के पत्र के संबंध में, इसे प्रस्तुत किया गया था कि एक नीतिगत मामला होने के नाते, यह अकेले मंडी परिषद (बोर्ड) थी जो निदेशक ऐसा निर्णय ले सकता था और निदेशक के पास यह निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था कि मंडी समिति की संपत्ति कृषि उपज के व्यापारियों, जो लाइसेंस धारक हैं, को किराया-खरीद के आधार पर दी जाएगी। यह आगे था दुकानों, गोदामों और शेडों को कृषि उपज के व्यापारियों को, जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त किए थे, किराए के आधार पर पट्टे पर देना था, न कि किराया-खरीद के आधार पर या अन्यथा संपत्ति को उनके पक्ष में हस्तांतरित करें।

6. उच्च न्यायालय ने 05.09.2003 पर रिट याचिका को संक्षेप में खारिज कर दिया एक संक्षिप्त आदेश जो इस प्रकार हैः

" पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।

याचिकाकर्ता के पास संशोधन दायर करने का एक वैकल्पिक उपाय है। यू. पी. कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम की धारा 32,1964 से पहले मंडी परिषद।

याचिका को वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, यदि कोई संशोधन दायर किया जाता है तो उस पर त्वरित निर्णय लिया जाएगा।"

7. हमने अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील श्री दिनेश द्विवेदी और प्रत्यर्थियों की वरिष्ठ वकील श्रीमती शोभा दीक्षित को सुना है।

8. यहाँ का विवाद यू. पी. कृषि उत्पादन मंडी द्वारा शासित है। अधिनियम, 1964 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) अधिनियम की धारा 26-एल की धारा 12, 26-ए और उप-धारा (1) निम्नानुसार हैः-

"12. समिति की स्थापना और निगमन (1) प्रत्येक बाजार क्षेत्र के लिए उस बाजार क्षेत्र की मंडी समिति नामक एक समिति होगी, जो एक ऐसा निकाय होगा जिसका स्थायी रूप से उत्तराधिकार और एक आधिकारिक मुहर और ऐसे प्रतिबंधों या योग्यताओं के अधीन, यदि कोई हो, जो इस या किसी अन्य अधिनियम द्वारा लगाए जा सकते हैं, इसके निगमित नाम पर मुकदमा कर सकते हैं या मुकदमा किया जा सकता है और प्राप्त कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं और संपत्ति का निपटान करना और अनुबंध करनाः

बशर्ते कि समिति अपनी किसी भी बैठक में अपने सदस्यों की कुल संख्या के तीन-चौथाई से कम के बहुमत से विधिवत पारित प्रस्ताव के अनुसार और लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करेगी।

(2) समिति को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और उस समय के लिए किसी अन्य कानून जो उस वक्त प्रवृत्त होंगे, के प्रयोजनों के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण माना जाएगा।

26-ए बोर्ड की स्थापना (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उसमें निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से राज्य कृषि के नाम से एक बोर्ड का गठन करेगी। लखनऊ में अपने मुख्य कार्यालय के साथ उत्पाद बाजार बोर्ड।

(2) बोर्ड उक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर होगी और इसके द्वारा मुकदमा किया जा सकता है या उक्त नाम और संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान और प्रवेश करें।

(3) बोर्ड को सभी उद्देश्यों के लिए स्थानीय माना जाएगा।

26-एल बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे और कुछ भी करने की शक्ति है जो आवश्यक या समीचीन हो सकता है उन कार्यों को पूरा करना।

(i) बाजार के कामकाज पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण समितियाँ और कार्यक्रमों सहित उनके अन्य मामले ऐसी समितियों द्वारा नए बाजार यार्डों के निर्माण और मौजूदा बाजारों और बाजार क्षेत्रों के विकास के लिए;

(ii) सामान्य रूप से समितियों या किसी समिति को ऐसा निर्देश देना विशेष रूप से इसकी दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से;

(iii) इस अधिनियम द्वारा उसे सौंपा गया कोई अन्य कार्य;

(iv) ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड को सौंपे जा सकते हैं।"

अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के प्रावधान से पता चलता है कि मंडी समिति (समिति) को राज्य कृषि उपज बाजार बोर्ड (मंडी परिषद) की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी अचल सम्पत्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा-26 एल बोर्ड की शक्तियों और कार्यों से सम्बन्धित है। मंडी परिषद (बोर्ड) के निदेशक को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है, जिसके तहत वह एक सामान्य निर्देश जारी कर सके कि मंडी परिषद की दुकानें, गोदाम और शेड व्यापारियों को किराया-खरीद के आधार पर हस्तांतरित या बेचे जाएंगे। इसलिए, अपीलकर्ताओको निदेशक के दिनांक 04-11-1995 के पत्र से कोई लाभ नहीं मिल सकता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि दुकानों को किराया-खरीद के आधार पर देने का निर्णय लिया गया था। जवाबी हलफनामे में उत्तरदाताओने विशेष रूप से कहा है कि बोर्ड न कभी भी मंडी समिति की सम्पत्ति को व्यापारियों को किराया-खरीद के आधार पर या अन्यथा बेचने का कोई निर्णय नहीं लिया। उत्तरदाताओका मामला यह है कि निदेशक द्वारा भेजा गया पत्र उनकी अपनी कार्यवाही थी, जिसे बोर्ड द्वारा कभी भी अधिकृत नहीं किया गया था। किसी भी दर पर निदेशक द्वारा दिया गया प्रस्ताव कभी फलीभूत नहीं हुआ क्योंकि बोर्ड द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था और बोर्ड ने कभी भी राज्य के विभिन्न जिलो की मंडी समितियों को व्यापारियों के पक्ष में समिति की संपत्ति

हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। जिन कृषि उपजों को मंडी परिषद द्वारा दुकानें, गोदाम और शेड आवंटित किए गए थे। इस दृष्टि से इस मामले में, अपीलार्थियों को यह दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि संपत्ति उन्हें किराया-खरीद के आधार पर दी जाए।

9. श्री दिनेश द्विवेदी, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि व्यावसायिक परिसर उन्हें किराया-खरीद के आधार पर बेचा जाएगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि नवीन मंडी स्थल में स्थानांतरित होने के बाद, जिससे व्यापारियों को काफी असुविधा हुई, उत्तरदाताओं के लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि व्यावसायिक परिसर होगा उन्हें मंडी समिति द्वारा पट्टे या किराये के आधार पर दिया जाता है। इस संबंध में यह बताया जा सकता है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने कोई दस्तावेज राम सिंह विजय पाल सिंह बनाम दायर नहीं किया है। यह दिखाने के लिए कि या तो यह आयोजित किया गया था या कोई आश्वासन दिया गया था प्रत्यर्थियों द्वारा कि व्यावसायिक परिसर याचिकाकर्ताओं को बेच दिया जाएगा किराया-खरीद के आधार पर या अन्यथा। वास्तव में, एक भी टुकड़ा नहीं है रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि करने के लिए अभिलेख पर कागज। क्या मंडी समिति की दुकानें, गोदाम और शेड, जिनके पास हैं रिट याचिकाकर्ताओं को आवंटित किया गया था, उन्हें पट्टे पर दिया जाना चाहिए या क्योंकि संपत्ति मंडी समिति या मंडी परिषद की है। इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंडी समिति

या मंडी परिषद सम्मान और न्यायालय उक्त की शुद्धता या अन्यथा की जांच संकीर्ण दृष्टि से ही कर सकता है अन्यथा नहीं कर सकता है।

10. नेताई बाग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [2000] 8 एस. सी. सी. 262, इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 20 के तहत अभिनिर्धारित कियाः

> "20. सरकार व्यावहारिक समायोजन करने की हकदार है और नीतिगत निर्णय जो आवश्यक हो सकता है या इसके तहत प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों में आवश्यक हो सकता है। अदालत सरकार द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकती कि सरकार द्वारा लिया गया निर्णय और अधिक वैज्ञानिक, निष्पक्ष या तार्किक हो सकता था।"

एम. पी. राज्य बनाम. नंदलाल जैसवाल, [1986] 4 एस. सी. सी. 566 में यह अभिनिर्धारित किया कि नीतिगत निर्णय में केवल न्यायालय द्वारा तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है। यदि ऐसा निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण विभिन्न तरीकों के मामले में, सामान्य के नियम के तहत एम. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत किए गए आवेदन में अदालत ने पाया कि चार अलग-अलग तरीके, अर्थात्, निविदा, नीलामी, निश्चित लाइसेंस शुल्क या ऐसे अन्य तरीके एक दूसरे के विकल्प थे और उनमें से कोई भी एक सहारा लिया जा सकता है।

बाल्को कर्मचारी संघ के प्रसिद्ध मामले में v. भारत संघ, [2002] 2 एस. सी. सी. 333, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर कानून का सारांश इस प्रकार दियाः

"लोकतंत्र में, यह प्रत्येक निर्वाचित सरकार का विशेषाधिकार है कि अपनी नीति का पालन करें। अक्सर सरकार में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है। आर्थिक नीतियों में बदलाव आए ऐसा किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप कुछ निहित स्वार्थों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जब तक कि कोई पॉलिसी के निष्पादन में अवैधता की गई हो या उक्त पाॅलिसी ही गैरकानूनी या दुर्भावनापूर्ण हो। उक्त पाॅलिसी में परिवर्तन लाने वाला निर्णय स्वयं न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। यह न्यायालय के और न ही न्यायिक समीक्षा के दायरे में है कि कोई विशेष सार्वजनिक नीति सटीक/सही है या नहीं और किसी नीति को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि वह और अधिक वैज्ञानिक, तार्किक या सटीक हो सकती थी। किसी नीति की न्यायिक समीक्षा तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि नीति किसी भी वैधानिक प्रावधान या संविधान के विपरीत हो। नीति की शुद्धता के जाँच के लिए उपयुक्त मंच संसद है न कि अदालत।"

फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, [2003] 4 एस.सी.सी. 289, यह रिपोर्ट के पैरा 12 के तहत अभिनिर्धारित किया गया थाः

"12. इस प्रकृति के एक प्रश्न की जांच करने में जहां एक नीति विकसित की जाती है सरकार द्वारा इसकी न्यायिक समीक्षा सीमित है। नीति कब जिसके अनुसार या जिस उद्देश्य के लिए विवेकाधिकार होना है प्रयोग कानून में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है एक अप्रतिबंधित विवेक नीति और आवश्यकता को प्रभावित करने वाले मामलों पर तकनीकी विशेषज्ञता न्यायालय इस मामले को निर्णय के लिए छोड़ देगा जो मुद्दों को संबोधित करने के लिए योग्य हैं। जब तक नीति या कार्रवाई संविधान और कानूनों के साथ असंगत है या मनमाना है या तर्कहीन या शक्ति का दुरुपयोग, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

यह कानून की तय स्थिति होने के कारण याचिकाकर्ताओं को दुकानें, गोदाम या शेड हस्तांतरित करने के लिए प्रतिवादी किराया खरीद के आधार पर कोई रिट निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

11. रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई प्रमुख राहत यह है कि उत्तरदाताओं को दुकानें, गोदाम आवंटित करने का आदेश देते हुए आदेश जारी किया जाए और किराया-खरीद के आधार पर रिट याचिकाकर्ताओं को सौंपा जाता है। सिद्धांतों पर, इस न्यायालय के निर्णय। बिहार पूर्वी गंगा मछुआरा सहकारी समिति में सोसायटी लिमिटेड बनाम। सिपाही सिंह, ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 2149, इस न्यायालय ने राम सिंह विजय पाल सिंह बनाम के रूप में टिप्पणी की। इसके अंतर्गतः-

"परमादेश की एक रिट केवल उस मामले में दी जा सकती है जहां एक संबंधित अधिकारी पर लगाया गया वैधानिक कर्तव्य और वहाँ एक है उस अधिकारी की ओर से वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफलता रही हो। रिट का मुख्य कार्य सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन के लिए मजबूर करना है। कानून द्वारा निर्धारित और अधीनस्थ न्यायाधिकरणों और अधिकारियों को रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सार्वजनिक कार्यों का प्रयोग करना। यह इस प्रकार, कि आदेश में कि मैंडमस मजबूर करने के लिए जारी कर सकता है अधिकारियों को कुछ करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि एक है कानून जो एक कानूनी कर्तव्य लागू करता है और पीड़ित पक्ष के पास एक कानूनी अधिकार है कानून के तहत अपने प्रदर्शन को लागू करने का अधिकार।"

12. रिट याचिकाकर्ताओं को यह दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि दुकानों, गोदामों या शेडों को उन्हें किराया-खरीद के आधार पर हस्तांतरित किया जाए। इन परिस्थितियों में उनके द्वारा दावा की गई राहत को बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है और रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

13. पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमारी राय है कि अपीलार्थी उन्हें कोई राहत देने के लिए कोई आधार बनाने में विफल रहे हैं, जैसा कि रिट याचिका में दावा किया गया है। तदनुसार अपील को खर्चों के साथ खारिज कर दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनुभव तिवारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।